रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234818 CG-DL-E-04042022-234818

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

No. 242]

## वस्त्र मंत्रालय

## (केन्द्रीय रेशम बोर्ड)

## अधिसचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

सा.का.नि. 254(अ.).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), भर्ती नियम, 2015 को, जहाँ तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा), उपनिदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रचार), उपनिदेशक (राजभाषा), पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, उपनिदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा), सहायक निदेशक (प्रचार), सहायक निदेशक (राजभाषा), तथा सहायक निदेशक (सांख्यिकी), के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा), उपनिदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रचार), उपनिदेशक (राजभाषा), पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, उपनिदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा), सहायक निदेशक (राजभाषा), तथा सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पदों की भर्ती पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), समूह 'क' पद भर्ती नियम. 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2349 GI/2022 (1)

- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बाते वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है ; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम ।	पद की संख्या	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स	चयन या	सीधे भर्ती किए	•
	1		में स्तर ।	अचयन पद।	जाने वाले	जाने वाले व्यक्तियों
					व्यक्तियों के लिए	के लिए अपेक्षित
					आयु-सीमा ।	शैक्षिक और अन्य
						अर्हताएँ ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. संयुक्त निदेशक	2* (2021)	समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।
(प्रशासन) ।	* कार्यभार के	अनुसचिवीय	में स्तर -12			
	आधार पर		(78800-			
	परिवर्तन		209200रु.).			
	किया जा		,			
	सकता है ।					

सीधी भर्ती किए परिवीः	क्षा भर्ती की पद्धति : भर्ती	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की	यदि विभागीय प्रोन्नति	परिस्थितियां,
जाने वाले अवधि,	, सीधे होगी या प्रोन्नति/	दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे	समिति है, तो उसकी	जिसमें भर्ती
व्यक्तियों के लिए यदि	कोई आमेलन द्वारा तथा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	संरचना।	किए जाने के
विहित आयु और हो।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा	किया जाएगा ।		लिए लोक
शैक्षिक अर्हताएँ	भरी जाने वाली			सेवा आयोग
प्रोन्नत व्यक्तियों	रिक्तियों की			से संपर्क
की दशा में लागू	प्रतिशतता ।			किया जाना
होंगी या नहीं।				है।
(8) (9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता। लागू	नहीं प्रोन्नति द्वारा, जिसके	प्रोन्नति :	विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
होता।	न हो सकने पर,	वेतन मैट्रिक्स के स्तर11	समिति में (प्रोन्नति के	होता ।
	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	(67700-208700 रु.) में ऐसे	संबंध में विचार करने के	
		्र उप-निदेशक (प्रशासन और	लिए निम्नलिखित से	
		लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में	मिलकर बनेगी) :-	
		पांच वर्ष की नियमित सेवा की		
		है।	1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय	
		टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ	रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	
		व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने		
		अपनी अर्हक या पात्रता सेवा		

पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य;  3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य।  व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अध्यक्ष से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अध्यक्ष;  अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;  या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर- 11(रु.67700-208700 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्ववद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री लिए हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि जन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56	
वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त निदेशक	1* (2021)	समूह (क),	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।
(वित्त) ।	* कार्यभार के	अनुसचिवीय	स्तर-12 में			
	आधार पर		(78800-			
	परिवर्तन		209200 रु.)			
	किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता ।	(10) प्रोन्निति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रितिनियुक्ति द्वारा ।	(11) प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे उप-निदेशक (वित्त) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।  टिप्पण: जहाँ ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय	(12) (I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी):- 1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य । (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में:- 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	(13) लागू होता	नहीं
			सरकार के अधीन कार्यरत			

		कानूनी स्वशासी संगठनों के	
		ऐसे अधिकारी ;	
		(क) (i) जो नियमित आधार	
		पर सदृश पद धारण किए	
		हुए हैं ;	
		या	
		(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के	
		स्तर (67700-208700	
		रु.), या समतुल्य में पाँच वर्ष	
		की नियमित सेवा की है,	
		तथा	
		(ख) निम्नलिखित शैक्षिक	
		अर्हता रखते हैं,	
		(i) भारत के चार्टड	
		एकांउटेंट्स संस्थान से अर्हित	
		चार्टड एकांउटेंट;	
		या	
		(ii) भारत के कॉस्ट	
		एकाउन्टैण्ट संस्थान से अर्हित	
		कॉस्ट एकाउन्टैण्ट;	
		या	
		ं (iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी	
		संस्थान से अर्हित कंपनी	
		सेक्रेटरी ;	
		या	
		(iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	
		में मास्टर डिग्री ;	
		या	
		(v) मान्यताप्राप्त	
		विश्वविद्यालय या संस्थान से	
		कामर्स में मास्टर डिग्री। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के	
		ऐसे विभागीय अधिकारी,	
		जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति	
		में है, प्रतिनियुक्ति पर	
		नियुक्ति के लिए विचार किए	
		जाने के पात्र नहीं होंगे और	
		इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति	
		के लिए विचार किए जाने के	
		पात्र नहीं होंगे।	
		टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंर्तगत	
		केन्द्रीय सरकार के उसी या	
		किसी अन्य संगठन या	
		विभाग में इस नियुक्ति से	
		ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
		प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	
		साधारणतया तीन वर्ष से	
	<del>-</del>		 <del></del>

अधिक नहीं होगी।  टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को	
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक	10* (2021)	समूह 'क',	वेतन	मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(प्रशासन और लेखा)	* कार्यभार के	अनुसचिवीय ।	में	स्तर-11			
	आधार पर		(67700-				
	परिवर्तन		208700 रु.)				
	किया जा						
	सकता है।						

	ाकया सकता है।	ज।				
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता.।	प्रोन्नति द्वारा, जिस सकने पर, प्र द्वारा ।	तेनियुक्ति	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500रु.) में ऐसे सहायक निदेशक (प्रशासन व लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों	1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में:- 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	लागू नहीं होता
				सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि		

सफलतापूर्वक पूरी कर ली
है।
प्रतिनियुक्तिः;
केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय
सरकार के अधीन कार्यरत
कानूनी या स्वशासी
संगठनों के ऐसे
अधिकारी ;
(क) (i) जो नियमित
आधार पर सदृश पद
धारण किए हुए हैं ;
या
ं (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स
के स्तर-10 (रु. 56100-
177500 रु.) या समतुल्य
में पाँच वर्ष की नियमित
सेवा की है, तथा
जो किसी मान्यता प्राप्त
विश्विवद्यालय या संस्थान
से स्नातक डिग्री हैं ।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के
ऐसे विभागीय अधिकारी,
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति
में है, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं
होंगे और इसी प्रकार
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति
द्वारा नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे।
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की
अवधि जिसके अंर्तगत
केन्द्रीय सरकार के उसी या
किसी अन्य संगठन या
विभाग में इस नियुक्ति से
ठीक पहले धारित किसी
अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
साधारणतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति
द्वारा नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु-सीमा
आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष
से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. उप निदेशक	1* (2021)	समूह-'क',	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(वित्त) ।	* कार्यभार के	अनुसचिवीय	स्तर-11 मे			
	आधार पर		(67700-			
	परिवर्तन		208700रु.)			
	किया जा					
	सकता है।					

(0)	(0)	(40)	(44)	(40)	(4.0)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू   नहीं   होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(I) विभागीय प्रोन्नति	लागू <del>उटीं</del>
	हाता।	पर, प्रातामयुक्ति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-	समिति में (प्रोन्नति के	नहीं होता
			10 (56100-177500	संबंध में विचार करने के	61/11
			रु.)में ऐसे सहायक	लिए निम्नलिखित से	
			निदेशक (प्रशासन व	मिलकर बनेगी) :-	
			् लेखा) में से जिन्होंने		
			निम्नलिखित अर्हता पूरी	1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय	
			की है;	रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	
			(i) भारत के चार्टड		
			एकांउटेंट्स संस्थान से	2. निदेशक या	
			अर्हित चार्टड एकांउटेंट;	उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-	
			या	सदस्य;	
			(ii) भारत के कॉस्ट	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
			एकाउन्टैण्ट संस्थान से		
			अर्हित कॉस्ट	(II) प्रतिनियुक्ति के लिए	
			एकाउन्टैण्ट ;	चयन समिति के गठन में :-	
			या	1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय	
			(iii) भारत के कंपनी	रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	
			सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित	2. निदेशक या	
			कंपनी सेक्रेटरी;	उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-	
			या	<del>11211</del> .	
			(iv) बिजनेस	रायर्ग,	
			एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर		
			डिग्री ;		
			या	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
			(v) मान्यताप्राप्त	प्रशासन से एक ज्येष्ठ	
			विश्वविद्यालय या	अधिकारी-सदस्य ।	
			संस्थान से कामर्स में		
			मास्टर डिग्री तथा जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हता		
			सेवा पूरी कर ली		
			है।		
			टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ		
			व्यक्तियों के संबंध में		
			जिन्होंने अपनी अर्हक या		
			पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए		
			ह, प्रान्नात क ।लए		

		विचार किया जा रहा	
		हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ	
		व्यक्तियों के संबंध में भी	
		विचार किया जाएगा,	
		परंतु यह तब जबकि	
		उनके द्वारा की गई ऐसी	
		अर्हक या पात्रता सेवा,	
		· ·	
		अपेक्षित अर्हक या	
		पात्रता सेवा के आधे से	
		अधिक से या दो वर्ष से,	
		उनमें मे जे भी उस जे	
		इनमें से जो भी कम हो,	
		कम न हो और उन्होंने	
		अपने ऐसे कनिष्ठ	
		व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	
		ऐसी अर्हक या पात्रता	
		सेवा पहले ही पूरी कर	
		ली है, अगली उच्चतर	
		श्रेणी में प्रोन्नति के लिए	
		अपनी परिवीक्षा की	
		अवधि सफलतापूर्वक	
		पूरी कर ली है।	
		प्रतिनियुक्ति	
		केन्द्रीय सरकार या	
		केन्द्रीय सरकार के अधीन	
		कार्यरत कानूनी या	
		स्वशासी संगठनों के ऐसे	
		अधिकारी ;	
		(क) (i) जो नियमित	
		आधार पर सदृश पद	
		धारण किए हुए हैं ;	
		या	
		(ii) जिन्होंने वेतन	
		· ·	
		मैट्रिक्स के स्तर-10	
		(56100-177500 रु.),	
		या समतुल्य में पाँच वर्ष	
		की नियमित सेवा की है,	
		तथा	
		(ख) निम्नलिखित शैक्षिक	
		आहर्ता रखते हैं,	
		(i) भारत के चार्टड	
		एकांउटेंट्स संस्थान से	
		अर्हित चार्टड	
		एकांउटेंट;	
		या	
		(ii) भारत के कॉस्ट	
		एकाउन्टैण्ट संस्थान से	
		अर्हित कॉस्ट एकाउन्टैण्ट	
		या	
1	Ī	भा	

 THE GIVEETTE OF INDIA.		[FARTH BL	
	/:::\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	(iii) भारत के कंपनी		
	सेक्रेटरी संस्थान से		
	अर्हित कंपनी सेक्रेटरी;		
	या		
	(iv) बिजनेस		
	एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर		
	डिग्री ;		
	या		
	(v) मान्यताप्राप्त		
	विश्वविद्यालय या		
	संस्थान से कामर्स में		
	मास्टर डिग्री ।		
	टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग		
	के ऐसे विभागीय		
	अधिकारी, जो प्रोन्नति		
	की सीधी पंक्ति में है,		
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति		
	के लिए विचार किए		
	जाने के पात्र नहीं होंगे		
	और इसी प्रकार		
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति		
	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के		
	लिए विचार किए जाने		
	के पात्र नहीं होंगे ।		
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति		
	की अवधि जिसके		
	अंर्तगत केन्द्रीय सरकार		
	के उसी या किसी अन्य		
	क उसा या किसा अन्य संगठन या विभाग में इस		
	नियुक्ति से ठीक पहले		
	धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
	प्रतिनियुक्ति की अवधि		
	है, साधारणतया तीन		
	ह, साधारणतया तान वर्ष से अधिक नहीं		
	विषे से आधेक नहां  होगी।		
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति		
	द्वारा नियुक्ति के लिए		
	अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की		
	अंतिम तारीख़ को 56		
	वर्ष से अधिक नहीं		
	होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उप निदेशक	1* (2021)	समूह'क',	वेतन मैट्रिक्स	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
(प्रचार) ।	* कार्यभार के	अनुसचिवीय ।	स्तर-11 में			
	आधार पर		(67700-			
	परिवर्तन		208700 रु.)			
	किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न			लागू नहीं
होता ।	होता ।	प्रान्नात द्वारा, ाजसक न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (56100- 177500रु.), के स्तर-10 में ऐसे सहायक निदेशक (प्रचार) में से जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी):-  1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष;  2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य;  3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य । (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में:-  1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष;  2. निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य । उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य;  3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	होता ।
			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रितिनयुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		

						(/,1
			स्तर-10 (56100	-177500		
			रु.), या समतुल्य में	पाँच वर्ष		
			नियमित सेवा की है,	तथा		
			(ख)किसी म	न्यताप्राप्त		
			विश्वविद्यालय से प	ात्रकारिता		
			में स्नातक डिग्री	या किसी		
			मान्यताप्राप्त संस्थ			
			विश्वविद्यालय से			
			में डिप्लोमा वे मान्यताप्राप्त विश्ववि	ह साथ		
			मान्यताप्राप्त ।वश्वाव स्नातक डिग्री ।	घालय स		
			टिप्पण 1 : पोषक प्र	वर्ग के ऐसे		
			विभागीय अधिका	-		
			प्रोन्नति की सीधी पं	क्ति में है,		
			प्रतिनियुक्ति पर नि	ोयुक्ति के		
			लिए विचार			
			किए जाने के पात्र			
			और इसी प्रकार प्र	-		
			व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा लिए विचार किए ज	-		
			नहीं होंगे।	। प क पात्र		
			टिप्पण 2 : प्रतिनि	यक्ति की		
			अवधि जिसके अंर्तग			
			सरकार के उसी या ि	केसी अन्य		
			संगठन या विभाग			
			नियुक्ति से ठीक पह			
			किसी अन्य काडर	, ,		
			पर प्रतिनियुक्ति की साधारणतया तीन			
			अधिक नहीं होगी।	वष स		
			टिप्पण 3 : प्रतिनिर्	ाक्ति द्वारा		
			नियुक्ति के लिए	_		
			आयु-सीमा आवेदन	प्राप्त करने		
			की अंतिम तारीख़ व			
			से अधिक नहीं होगी	l		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
\ '' <i>\</i>	\-/	\ - /	( ' /	(-/	0: 5	` '

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप निदेशक	2*(2021)	समूह'क',	वेतन मैट्रिक्स स्तर-	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(राजभाषा) ।	* कार्यभार के	अननुसचिवीय	11 में (67700-			
	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		208700 रु.) में ।			

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे		लागू नहीं होता ।

सहायक निदेशक (प्रचार) में से लिए निम्नलिखित जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष मिलकर बनेगी) :-की नियमित सेवा की है। 1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ रेशम बोर्ड- अध्यक्ष: व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा निदेशक पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-विचार किया जा रहा हो, वहाँ सदस्य: उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से में भी विचार किया जाएगा. एक निदेशक-सदस्य । परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से में :-अधिक से या दो वर्ष से. इनमें 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय से जो भी कम हो, कम न हो रेशम बोर्ड- अध्यक्ष: और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ निदेशक व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-अर्हक या पात्रता सेवा सदस्य:

> पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

# प्रतिनियक्ति:

केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं,-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पि क विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पि क विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री

या

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री

या

(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिलक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पि क विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर डिग्री

(vi) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी तथा अनुलोमत: अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

विष्यण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार

किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की
अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन या विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले धारित
किसी अन्य काडर बाह्य पद
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
साधारणतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति के लिए अधिकतम
आर्यु-सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष
से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. पुस्तकालय	1* (2021*	समूह-क, गैर-	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
और सूचना	कार्यभार के	अनुसचिवीय	स्तर-11 में			
अधिकारी ।	आधार पर		(67700-			
	परिवर्तन किया जा		208700 रु.)			
	सकता है ।		में ।			

(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	लागू होता।	नहीं	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा ।		(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी):-  1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष 2. निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में:- 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	लागू होता ।	न हीं
				कम न हा आर उन्हान अपन ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता	<ol> <li>निदेशक या उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय- सदस्य;</li> </ol>		

	सेवा पहले ही पूरी कर ली है,	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
	अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति		
	के लिए अपनी परिवीक्षा की	अधिकारी-सदस्य।	
	अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर		
	ली है ।		
	प्रतिनियुक्तिः;		
	केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय		
	सरकार के अधीन कार्यरत		
	कानूनी या स्वशासी संगठनों		
	के ऐसे अधिकारी ;		
	(क) (i) जो नियमित आधार		
	पर सदृश पद धारण किए हुए		
	हैं;		
	या		
	(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		
	स्तर-10 (56100-		
	177500रु.) या समतुल्य में		
	पाँच वर्ष की नियमित सेवा की		
	है,		
	या		
	(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		
	स्तर-7 (44900-142400		
	रु.), में सात वर्ष की नियमित		
	सेवा की है, तथा		
	(ख) जिन्होंनें किसी		
	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या		
	संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान		
	या पुस्तकालय और सूचना		
	विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली		
	है।		
	टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे		
	विभागीय अधिकारी, जो		
	प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के		
	लिए विचार किए जाने के पात्र		
	नहीं होंगे और इसी प्रकार		
	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति		
	द्वारा नियुक्ति के लिए विचार		
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की		
	अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय		
	सरकार के उसी या किसी अन्य		
	संगठन या विभाग में इस		
	नियुक्ति से ठीक पहले धारित		
	किसी अन्य काडर बाह्य पद		
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से		
	अधिक नहीं होगी ।		
	<b>टिप्पण 3</b> : प्रतिनियुक्ति द्वारा		
 	ा । । । । । यातावद्वाता आरा	l	

(1) 8 उप निदेशक (सांख्यिकी) (8) लागू नहीं होता।	(2) 1*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (9)	(10)	`₹	तन मैट्रिक्स के स्तर-11 में 67700-208700	न प्राप्त करने को 56 वर्ष	(6) लागू नहीं होता।	(7) लागू न	हीं होता।
8 उप निदेशक (सांख्यिकी) (8)	1*(2021)     * कार्यभार     के आधार     पर     परिवर्तन     किया जा     सकता है।	समूह "क," गैर- अननुसचिवीय (10)	वे <sup>र</sup> `स (6	तन मैट्रिक्स के स्तर-11 में 67700-208700				हीं होता।
8 उप निदेशक (सांख्यिकी) (8)	1*(2021)     * कार्यभार     के आधार     पर     परिवर्तन     किया जा     सकता है।	समूह "क," गैर- अननुसचिवीय (10)	वे <sup>र</sup> `स (6	तन मैट्रिक्स के स्तर-11 में 67700-208700				हीं होता।
` '		` '		(4.4)				
लागू नहीं होता।	लागु नहीं	, (		(11)		(12)		(13)
	होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके हो सकने प प्रतिनियुक्ति द्वारा।	त न प्रदे	वेतन मैट्रिक्स के (56100-177500 सहायक निदेशक में से जिन्होंने उपांच वर्ष की निया है। टिप्पण : जहाँ व्यक्तियों के संबंध अपनी अर्हक या पूरी कर ली है, लिए विचार किरहो, वहाँ उनसे ज्ये के संबंध में भी विजाएगा, परंतु यह	) रु.) में ऐसे (सांख्यिकी) स श्रेणी में मेत सेवा की ऐसे किन्छ में जिन्होंने पात्रता सेवा प्रोन्नति के पात्रता सेवा प्रोन्नति के पात्र उसकियां वेचार किया तब जबिक हे ऐसी अर्हक हो येसी अर्हक हो वर्ष से, म हो, कम न अपने ऐसे	समिति में (प्रोक्सी संबंध में विचार क लिए निम्नलिखित मिलकर बनेगी):- 1.सदस्य सचिव, रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक उपसचिव,वस्त्र मंः सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम ब एक निदेशक-सदस्य (॥) प्रतिनियुक्ति के चयन समिति के में:-	रने के त से केन्द्रीय या त्रालय- गर्ड से । जठन	लागू नह होता ।

पहले ही पूरी कर ली है,

अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति

के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर

केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों

(क) (i) जो नियमित आधार

ली है ।

प्रतिनियुक्ति;

के ऐसे अधिकारी ;

उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय-

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के

प्रशासन से एक ज्येष्ठ

अधिकारी-सदस्य।

सदस्य;

पर सदृश पद धारण किए हुए
हैं ;
या
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के
स्तर-10 ( 56100-177500
रु.),या समतुल्य में पाँच वर्ष
की नियमित सेवा की है, तथा
(ख) जिन्होंने किसी
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री
ली है।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे
विभागीय अधिकारी, जो
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के
लिए विचार
किए जाने के पात्र नहीं होंगे
और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे । <b>टिप्पण 2</b> : प्रतिनियुक्ति की
अवधि जिसके अंर्तगत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन या विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के
लिए अधिकतम आयु-सीमा
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम
तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक
नहीं होगी ।
161 61.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा)।	37* (2021)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-'क', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100- 177500 रु.)।	चयन।	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	अनिवार्य आवश्यक अर्हता :  (i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकांउटेंट्स ऑफ इंडिया से अर्हित चार्टड एकांउटेंट ;  या  (ii) इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ़
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी। न कि वह अंतिम	* * *

	तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख,	संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित

(0)	(0)	(40)	(44)	(40)	(40)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	एक वर्ष	(i) अस्सी प्रतिशत	प्रोन्नति :	(I) विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं होता
होता।		प्रोन्नति द्वारा;तथा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7	समिति में (प्रोन्नति के	
	<b>टिप्पण</b> : केंद्रीय	(ii) बीस	(44900-142400 रु.) में	संबंध में विचार करने के	
	सरकार द्वारा		ऐसे अधीक्षक (प्रशासन) में	लिए निम्नलिखित से	
	विहित	दारा जिसके न दो	से जिन्होंने उस श्रेणी में	मिलकर बनेगी ) :-	
	परिवीक्षा को	सकने पर प्रतिनियुक्ति	तीन वर्ष की नियमित सेवा	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
	सफलतापूर्वक पूरा करने के	<b>ਵਾ</b> ਹਾ	की है । टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ	एक निदेशक – अध्यक्ष;	
	ूरा गरा ग लिए कम से		व्यक्तियों के संबंध में	2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
	कम दो सप्ताह		जिन्होंने अपनी अर्हक या	बाहर से एक संयुक्त	
	की अवधि का		पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	निदेशक या उपनिदेशक	
	अनिवार्य प्रेरण		प्रोन्नति के लिए विचार	- सदस्य;	
	प्रशिक्षण		किया जा रहा हो, वहाँ उनसे	,	
	होगा ।		ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में		
			भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब		
			जबिक उनके द्वारा की गई	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
			ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,		
			अपेक्षित अर्हक या पात्रता	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	
			सेवा के आधे से अधिक से या	या उपनिदेशक (प्रशासन	
			दो वर्ष से, इनमें से जो भी	और लेखा)- सदस्य।	
			कम हो, कम न हो और	(II) प्रतिनियुक्ति के लिए	
			उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	चयन समिति के गठन में :-	
			व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय	
			ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा		
			पहले ही पूरी कर ली है,	2. निदेशक या	
			अगली उच्चतर श्रेणी में	उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय	
				्रवतायप,पस्त्र <b>म</b> त्रालय	

	प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनेयुक्तिः; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रु.), या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं,	- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी -सदस्य। (III) चयन समिति (सीधी भर्ती के लिए) 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष; 2. वस्त्र मंत्रालय से उप सचिव या अवर सचिव - सदस्य;	
	(i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकांउटेंट्स ऑफ इंडिया से अर्हित चार्टड एकांउटेंट; या (ii) इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकांउटेंट्स ऑफ़ इंडिया से अर्हित कॉस्ट अकांउटेंट, या (iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी, या (iv) बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री।	किसी लेखा संगठन के एक ज्येष्ठ अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100- 215900 रु.) से कम न हों- सदस्य। (IV) विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि के के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) में:- 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष ; 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या संयुक्त निदेशक (विक्त), केन्द्रीय	
	जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	अधिकारी होंगे सदस्य।	

	पात्र नहीं होंगे ।	
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की	
	अवधि जिसके अंतर्गत	
	केन्द्रीय सरकार के उसी या	
	किसी अन्य संगठन या	
	विभाग में इस नियुक्ति से	
	ठीक पहले धारित किसी	
	अन्य काडर बाह्य पद पर	
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है,	
	साधारणतया तीन वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी ।	
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति	
	द्वारा नियुक्ति के लिए	
	अधिकतम आयु-सीमा	
	आवेदन प्राप्त करने की	
	अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से	
	अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. सहायक	2* (2021)	समूह-'क',	वेतन मैट्रिक	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
निदेशक (प्रचार) ।	* कार्यभार	अननुसचिवीय	स्तर-10			
	के आधार		(56100-177500			
	पर		रु.) में			
	परिवर्तन					
	किया जा					
	सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष		प्रोन्नति :	(I) विभागीय प्रोन्नति	
होता।		पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7	समिति में (प्रोन्नति के	
			(रु.44900-142400), में	संबंध में विचार करने के	
			ऐसे अधीक्षक (प्रचार) में से	लिए निम्नलिखित से	
			जिन्होंने उस श्रेणी में तीन	मिलकर बनेगी ) :-	
			वर्ष की नियमित सेवा की है ।	1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
			<b>टिप्पण :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ	एक निदेशक – अध्यक्ष;	
				2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
			जिन्होंने अपनी अर्हक या	बाहर से एक संयुक्त	
			पात्रता सेवा पूरी कर ली	निदेशक या उपनिदेशक	
			है, प्रोन्नति के लिए विचार	- सदस्य;	
			किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से	
			संबंध में भी विचार किया	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	
			जाएगा, परंतु यह तब	या उपनिदेशक (प्रशासन	

		()1
जबिक उनके द्वारा की गई	और लेखा) -सदस्य ।	
ऐसी अर्हक या पात्रता	(II) प्रतिनियुक्ति के लिए	
सेवा, अपेक्षित अर्हक या	चयन समिति के गठन	
पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	में :-	
	1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय	
भी कम हो, कम न हो और		
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
ऐसी अर्हक या पात्रता	उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय	
सेवा पहले ही पूरी कर ली		
है, अगली उच्चतर श्रेणी में	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
प्रोन्नति के लिए अपनी	प्रशासन से एक ज्येष्ठ	
परिवीक्षा की अवधि	अधिकारी -सदस्य।	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली		
हो।		
प्रतिनियुक्तिः		
केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन		
कार्यरत कानूनी या		
स्वशासी संगठनों के ऐसे		
अधिकारी ;		
(क) (i) जो नियमित		
आधार पर सदृश पद		
धारण किए हुए हैं ;		
या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स		
के स्तर-7 (44900-		
142400 रु.) या		
समतुल्य में तीन वर्ष की		
नियमित सेवा की है, तथा		
(ख) जिन्होंने किसी		
मान्यता प्राप्त		
विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक		
डिग्री ली है या किसी		
मान्यताप्राप्त संस्थान या		
विश्वविद्यालय से		
पत्रकारिता में डिप्लोमा के		
साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
ावश्वावद्यालय स स्नातक डिग्री ली है।		
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के		
ऐसे विभागीय अधिकारी,		
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति		
में है, प्रतिनियुक्ति पर		
नियुक्ति के लिए विचार		
किए जाने के पात्र नहीं		
होंगे और इसी प्रकार		

	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति
	द्वारा नियुक्ति के लिए
	विचार किए जाने के पात्र
	नहीं होंगे।
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की
	अवधि जिसके अंतर्गत
	केन्द्रीय सरकार के उसी या
	किसी अन्य संगठन या
	विभाग में इस नियुक्ति से
	ठीक पहले धारित किसी
	अन्य काडर बाह्य पद पर
	प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
	साधारणतया तीन वर्ष से
	अधिक नहीं होगी ।
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति
	द्वारा नियुक्ति के लिए
	अधिकतम आयु-सीमा
	आवेदन प्राप्त करने की
	अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष
	से अधिक नहीं होगी ।
<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक	6* (2021)	समूह-क,	वेतन मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
निदेशक	* कार्यभार के	अनेनुसचिवीय।	स्तर-10			
(राजभाषा) ।	आधार पर		(56100-			
	परिवर्तन		177500 रु.) में			
	किया जा					
	सकता है। .					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्निति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900-142400 रु.) ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) में से जिन्होंने, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम	लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी):- 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक – अध्यक्ष; 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक - सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन	

		न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
		-0.:-0-0.::220	w -22-2-2-	
		व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी	=	
		अर्हक या पात्रता सेवा पहले	चयन समिति के गठन	
		ही पूरी कर ली है, अगली	में :-	
		उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के		
		लिए अपनी परिवीक्षा की	1. सदस्य सचिव,	
			केन्द्रीय रेशम बोर्ड	
		अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर		
		ली हो ।	- अध्यक्ष;	
		प्रतिनियुक्तिः;	2. निदेशक या	
		केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय	उपसचिव,वस्त्र मंत्रालय	
		सरकार के अधीन कार्यरत		
			Í .	
		कानूनी या स्वशासी संगठनों	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के	
		के ऐसे अधिकारी ;	प्रशासन से एक ज्येष्ठ	
		(क) (i) जो नियमित आधार		
			अधिकारी -सदस्य।	
		पर सदृश पद धारण किए हुए		
		हैं ;		
		या		
		(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		
		स्तर-7 ( 44900-142400		
		रु.) या समतुल्य में तीन वर्ष		
		्र की नियमित सेवा की है, तथा		
		`		
		(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक		
		अर्हता रखते हैं,		
		(i) किसी मान्यताप्राप्त		
		विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर		
		पर अनिवार्य या वैकल्पिक		
		विषय या परीक्षा के माध्यम		
		से रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी		
		में मास्टर डिग्री;		
	<u> </u>			
1		<del></del>		1
		या		
		(ii) किसी मान्यता		
		प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक		
		स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पि		
		क विषय या परीक्षा के		
		माध्यम के रूप में हिंदी के		
		_		
		साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री		
		या		
		(iii) किसी मान्यताप्राप्त		
		्र विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर		
		पर अनिवार्य या वैकल्पि क		
		विषय या परीक्षा के माध्यम		
		के रूप में अग्रेजी के साथ हिंदी		
		या अंग्रेजी के अलावा किसी		
		विषय में हिंदी माध्यम के		
		साथ मास्टर डिग्री		
		या		
		. 91	1	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

(iv) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर
पर अनिवार्य या वैकल्पिक
विषय या परीक्षा के माध्यम
के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी
या अंग्रेजी के अलावा किसी
विषय में अंग्रेजी माध्यम के
साथ मास्टर डिग्री
या
 (v) किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिलक
विषय के रूप में हिंदी और
अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई
एक परीक्षा के माध्यम और
दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप
में हो, के साथ हिंदी और
अंग्रेजी के अलावा किसी
विषय में मास्टर डिग्री
और
(vi) किसी मान्यताप्राप्त
संस्थान या विश्वविद्यालय से
हिंदी से अंग्रेजी तथा
अनुलोमत: अनुवाद में
डिप्लोमा या प्रमाणपत्र
पाठ्यक्रम।
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के
ऐसे विभागीय अधिकारी, जो
प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के
लिए विचार किए जाने के
पात्र नहीं होंगे और इसी
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए
विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की
अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी
अन्य संगठन या विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य काडर
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि है, साधारणतया तीन
वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा
नियुक्ति के लिए अधिकतम्
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष
से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
12. सहायक	4* (2021)	समूह-क,	वेतन	मैट्रिक्स	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
निदेशक	* कार्यभार	अनुनसचिवीय।	स्तर-10				
(सांख्यिकी)।	के आधार		(56100-				
	पर		177500	रु.) में			
	परिवर्तन						
	किया जा						
	सकता है।						

लागू नहीं दो वर्ष। प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो प्रोन्नति : सिमिति में (प्रोन्निति के के (44900-142400 रु.) ऐसे ज्येष्ठ सांख्यिकी में सिलकर बनेगी):-	(8)
तिन वर्ष की नियमित सेवा की है।  हिप्पण : जहाँ ऐसे किन्छ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा परी कर ती है, प्रोन्नति के लिए अपनी परिवास के आये से अधिक से या दो वर्ष से, हनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने परिवास के वा पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेण में प्रोन्न कर लिए अपने परिवास के अप में अहित, जिन्होंने ऐसी अहंक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेण में प्रोन्न कर लिए अपनी परिवास के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ती हो।  अतिनेत्रुक्तिः  भेतिनेत्रुक्तिः  भेतिनेत्रुक्तिः	लागू नहीं

[भाग II—खण्ड 3(i)]

		सांविधिक या स्वशासी	
		संगठनों के ऐसे	
		अधिकारी ;	
		(क) (i) जो नियमित	
		आधार पर सदृश पद	1
		धारण किए हुए हैं ;	1
			1
		या (ii) जिन्होंने वेतन	1
			1
		मैट्रिक्स के स्तर-7	1
		(44900-142400 रु.)	1
		या समतुल्य में तीन वर्ष	1
		की नियमित सेवा की	1
		है, तथा	1
		(ख) जिन्होंने किसी	
		मान्यताप्राप्त	
		विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातक	
		साख्यका म स्नातक   डिग्री ली है ।	
		टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग	
		के ऐसे विभागीय	
		अधिकारी, जो प्रोन्नति	
		की सीधी पंक्ति में है,	
		प्रतिनियुक्ति पर	
		नियुक्ति के लिए विचार	
		किए जाने के पात्र नहीं	
		होंगे और इसी प्रकार	
		प्रतिनियुक्त व्यक्ति	
		प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	1
		लिए विचार किए जाने	1
		के पात्र नहीं होंगे ।	1
		टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति	1
		की अवधि जिसके	1
		अंर्तगत केन्द्रीय सरकार	1
		के उसी या किसी अन्य	1
		संगठन या विभाग में	
		इस नियुक्ति से ठीक	
		पहले धारित किसी अन्य	
		काडर बाह्य पद पर	
		प्रतिनियुक्ति की अवधि	
		है, साधारणतया तीन	
		वर्ष से अधिक नहीं	
		होगी।	
		टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति	
		द्वारा नियुक्ति के लिए	
		अधिकतम आयु-सीमा	
		आवेदन प्राप्त करने की	
		अंतिम तारीख़ को 56	
		वर्ष से अधिक नहीं	
		होगी ।	
İ	l	[ Q1 11 1	

### MINISTRY OF TEXTILES

#### (Central Silk Board)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2022

- G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the posts of Joint Director (Administration), Joint Director (Finance), Deputy Director (Administration and Accounts), Deputy Director (Publicity), Deputy Director (Official Language), Library and Information Officer, Deputy Director (Statistics), Assistant Director (Administration and Accounts), Assistant Director (Publicity), Assistant Director (Official Language) and Assistant Director (Statistics), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director (Administration), Joint Director (Finance), Deputy Director (Administration), Deputy Director (Publicity), Deputy Director (Official Language), Library and Information Officer, Deputy Director (Statistics), Assistant Director (Administration and Accounts), Assistant Director (Publicity), Assistant Director (Official Language) and Assistant Director (Statistics) in the Ministry of Textiles, Central Silk Board, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts), Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached hereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 5. **Disqualification.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of	Number of	Classi-	Level in pay	Whether	Age-limit	Educational and
posts.	posts.	fication.	matrix	selection	for direct	other
				post or	recruits.	qualifications
				non-		required for
				selection		direct recruits.
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Joint Director	2* (2021)	Group 'A',	Level -12 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(Administration).	* Subject to	Ministerial.	the pay matrix			
	variation		(Rs.78800-			
	dependent		209200).			
	on					
	work load.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	various methods. (10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Deputy Director (Administration and Accounts) in level- 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central	(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  1. Member- Secretary, Central Silk Board -Chairman;  2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member;  3. A Director from Central Silk Board -Member.  (II)Composition of the Selection Committee for deputation:- 1. Member- Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;  3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.	Not applicable.

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis;

(ii) with five years of regular service in level-11 in the pay

matrix (Rs.67700-208700) or equivalent, and

(b) possessing Bachelor's degree from a recognised University or institute.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of

	receipt of	
	applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Director	1* (2021)	Group 'A',	Level -12 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
(Finance).	* Subject to	Ministerial.	the pay matrix			
	variation		(Rs.78800-			
	dependent		209200).			
	on					
	work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)Departmental	Not
applicable.	applicable.	failing which by	From among the	Promotion	applicable.
		deputation.	Deputy Director	Committee (for	
			(Finance) in level-11	considering	
			in the pay matrix	promotion)	
			(Rs.67700-	consisting of:-	
			208700) with five		
			years regular service	1. Member-	
			in the grade.	Secretary,	
				Central Silk	
			Note: Where juniors	Board	
			who have completed	-Chairman;	
			their qualifying or		
			eligibility service are	2. Director or	
			being	Deputy	
			considered for	Secretary,	
			promotion, their	Ministry of	
			seniors shall also be	Textiles	
			considered	-Member;	
			provided they are not		
			short of the requisite	3. A Director	
			qualifying or	from Central	
			eligibility	Silk Board	
			service by more than	–Member.	
			half of such		
			qualifying or	(II)Composition	
			eligibility service or	of the Selection	
			two years, whichever	Committee for	
			is less, and have	deputation:-	
			successfully		
			completed their	1. Member-	
			probation period for	Secretary,	
			promotion to	Central Silk	
			the next higher grade	Board -	
			along with their	Chairman;	
			juniors who have		
			already	2. Director or	
			completed such	Deputy	
			qualifying or	Secretary,	
			eligibility service.	Ministry of	
				Textiles -	
			Deputation;	Member;	
			Officers of the		
<u> </u>			Central Government		

	2 4 6 :	
or statutory or	3. A Senior	
autonomous	Officer of	
organisations	Central Silk	
functioning under	Board from	
the Central	Administration	
Government,	- Member.	
,		
(a) (i) holding		
analogous posts on a		
regular basis;		
or		
(ii) with five years		
of regular service in		
level-11 in the pay		
matrix (Rs.67700-		
208700) or		
equivalent, and		
(b) possessing the		
following		
educational		
qualification,		
quanneanon,		
(i)1:E: - 1		
(i) qualified		
Chartered		
Accountant from the		
Institute of		
Chartered		
Accountants of		
India;		
or		
(ii) qualified Cost		
Accountant from the		
Institute of Cost		
Accountants of India;		
or		
(iii) qualified		
Company Secretary		
from the Institute of		
Company Secretaries		
of India;		
or		
(iv) Master of		
Business		
Administration;		
or		
(v) Master's degree		
in Commerce from a		
recognised		
University		
orinstitute.		
Note 1: The		
Departmental		
officers in the feeder		
category who are in		
the direct line of		
promotion		
shall not be eligible		
for		
consideration for		
appointment on		
 	<del></del>	

 		<u> </u>
	deputation and	
	similarly, the	
	deputationists shall	
	not be eligible for	
	consideration for	
	appointment	
	by promotion.	
	Note 2: The period	
	of deputation	
	including the period	
	of deputation	
	in another Ex-cadre	
	post held	
	immediately	
	preceding this	
	appointment in the	
	same or some other	
	organisation or	
	Department	
	of the Central	
	Government shall	
	ordinarily not exceed	
	three years.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Note 3: The	
	maximum age-limit	
	for appointment by	
	deputation	
	shall be not	
	exceeding fifty-six	
	years' as on the	
	closing date of	
	receipt of	
	applications.	
	applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy	10* (2021)	Group 'A',	Level -11 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject to	Ministerial.	the pay matrix			
(Administration	variation		(Rs.67700-			
and Accounts).	dependent		208700).			
	on					
	work load					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)Departmental	Not
applicable.	applicable.	failing which by	From among the	Promotion	applicable.
		deputation.	Assistant Director	Committee (for	
		_	(Administration and	considering	
			Accounts) in level-	promotion)	
			10 in the pay matrix	consisting of:-	
			(Rs.56100-177500)		

with five years regular service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:
Officers of the
Central Government
or statutory or
autonomous
organisations
functioning under
the Central
Government;

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and
- (b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University or institute.

- 1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman;
- 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member:
- 3. A Director from Central Silk Board Member.
- (II)Composition of the Selection Committee for deputation:-1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member: 3. A Senior Officer of Central Silk Board from

Administration - Member.

Note 1: The
Departmental
officers in the feeder
category who are in
the direct line of
promotion
shall not be eligible
for
consideration for
appointment on
deputation and
similarly, the
deputationists shall
not be eligible for
consideration for
appointment
by promotion.
Note 2: The period
of deputation
including the period
of deputation
in another Ex-cadre
post held
immediately
preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
Department
of the Central
Government shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3: The
maximum age-limit
for appointment by
deputation
shall be not
exceeding fifty-six
years' as on the
closing date of
receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy Director (Finance).	1* (2021) * Subject to variation dependent	Group 'A', Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	on work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)Departmental	Not
applicable.	applicable.	failing which by		Promotion	applicable.
		deputation.	From among the	Committee (for	
			Assistant Director	considering	
			(Administration and	promotion)	

Accounts)in level-10 consisting of:in the pay matrix (Rs.56100-1. Member-177500)possessing Secretary, the qualification of; Central Silk Board -(i) qualified Chartered Chairman; Accountant from the Institute of Chartered 2. Director or Accountants of India; Deputy Secretary, or (ii) qualified Cost Ministry of Accountant from the Textiles -Institute of Cost Member; Accountants of India: 3. A Director or (iii) qualified from Central Silk Board -Company Secretary from the Institute of Member. Company Secretaries of India; (II)Composition of the Selection or (iv) Master of Committee for **Business** deputation:-Administration; or 1. Member-(v) Master's degree in Secretary, Central Silk Commerce from a recognised University Board or Institute and who Chairman; have completed the 2. Director or minimum qualifying service of five years. Deputy Secretary, **Note:** Where juniors Ministry of who have completed Textiles their qualifying or Member: eligibility service are being 3. A Senior considered for Officer of Central Silk promotion, their seniors shall also be Board from considered Administration provided they are not - Member. short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have

already

completed such

qualifying or
eligibility service.
Deputation:
Officers of the
Central Government
or statutory or
autonomous
organisations
functioning under
the Central
Government,
(a) (i) holding
analogous posts on a
regular basis;
or
(ii) with five years
of regular service in
level-10 in the pay
matrix (Rs.56100-
177500) or
equivalent, and
(b) possessing the
following
educational
qualification:
(i) qualified Chartered
Accountant from the
Institute of Chartered
Accountants of India;
or
(ii) qualified Cost
Accountant from the
Institute of Cost
Accountants of India;
or
(iii) qualified
Company Secretary
from the Institute of
Company Secretaries
of India;
or
(iv) Master of
Business
Administration;
or
(v) Master's degree
in Commerce from a
recognised
University or
institute
Note 1: The
Departmental
officers in the feeder
category who are in
the direct line of
promotion
shall not be eligible
Simil not be engine

for	
consideration for	
appointment on	
deputation and	
similarly, the	
deputationists shall	
not be eligible for	
consideration for	
appointment	
by promotion.	
by promotion.	
Note 2: The period	
of deputation	
including the period	
of deputation	
in another Ex-cadre	
post held	
immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
Department	
of the Central	
Government shall	
ordinarily not exceed	
three years.	
Note 3: The	
maximum age-limit	
for appointment by	
deputation	
shall be not	
exceeding fifty-six	
years' as on the	
closing date of	
receipt of	
applications.	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy	1* (2021)	Group 'A',	Level -11 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject to	Non-	the pay matrix			
(Publicity).	variation	Ministerial.	(Rs.67700-			
	dependent		208700).			
	on					
	work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)Departmental	Not
applicable.	applicable.	failing which by		Promotion	applicable.
		deputation.	From among the	Committee (for	
			Assistant Director	considering	
			(Publicity) in level-	promotion)	
			10 in the pay matrix	consisting of:-	
			(Rs.56100-177500)		
			with five years	1. Member-	
			regular service in the	Secretary,	
			grade.	Central Silk	
				Board -	

Diploma in Journalism from a

**Note:** Where juniors Chairman; who have completed their qualifying or 2. Director or eligibility service are Deputy being Secretary, considered for Ministry of promotion, their Textiles seniors shall also be Member; considered provided they are not 3. A Director short of the requisite from Central qualifying or Silk Board eligibility Member. service by more than half of such (II)Composition qualifying or of the Selection eligibility service or Committee for two years, whichever deputation:is less, and have successfully 1. Membercompleted their Secretary, probation period for Central Silk Board promotion to the next higher grade Chairman; along with their juniors who have 2. Director or already Deputy completed such Secretary, qualifying or Ministry of eligibility service. Textiles -Member; Deputation: Officers of the 3. A Senior Central Government Officer of or statutory or Central Silk Board from autonomous Administration organisations functioning under - Member. the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and (b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's degree from a recognised University with

recognised institute	
or University.	
Note 1: The	
Departmental	
officers in the feeder	
category who are in	
the direct line of	
promotion	
shall not be eligible for	
consideration for	
appointment on	
deputation and	
similarly, the	
deputationists shall	
not be eligible for	
consideration for	
appointment	
by promotion.	
by promotion.	
Note 2: The period	
of deputation	
including the period	
of deputation	
in another Ex-cadre	
post held	
immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
Department	
of the Central	
Government shall	
ordinarily not exceed	
three years.	
Note 3: The	
maximum age-limit	
for appointment by	
deputation	
shall be not	
exceeding fifty-six	
years as on the	
closing date of	
receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy	2* (2021)	Group 'A',	Level -11 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject to	Non-	the pay matrix			
(Official	variation	Ministerial.	(Rs.67700-			
Language).	dependent		208700).			
	on					
	work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)	Not
applicable.	applicable.	failing which by		Departmental	applicable.
		deputation.		Promotion	
			From among the	Committee (for	
			Assistant Director	considering	
			(Official Language)	promotion)	
			in level-10 in the pay	consisting of:-	
			matrix (Rs.56100-	1 37 1	
			177500) with five	1. Member-	
			years regular service	Secretary, Central Silk	
			in the grade.	Board -	
				Chairman;	
			<b>Note:</b> Where juniors	Chairman,	
			who have completed	2. Director or	
			their qualifying or	Deputy	
			eligibility service are	Secretary,	
			being	Ministry of	
			considered for	Textiles -	
			promotion, their	Member;	
			seniors shall also be		
			considered	3. A Director	
			provided they are not	from Central	
			short of the requisite	Silk Board –	
			qualifying or	Member.	
			eligibility	(III)	
			service by more than half of such	(II) Composition of	
			qualifying or	the Selection	
			eligibility service or	Committee for	
			two years, whichever	deputation:-	
			is less, and have	ī	
			successfully	1. Member-	
			completed their	Secretary,	
			probation period for	Central Silk	
			promotion to	Board -	
			the next higher grade	Chairman;	
			along with their juniors who have	2. Director or	
			already	Deputy	
			completed such	Secretary,	
			qualifying or	Ministry of	
			eligibility service.	Textiles -	
				Member;	
			Deputation:	3. A Senior	
			Officers of the	Officer of	
			Central Government	Central Silk	
			or statutory or	Board from Administration	
			autonomous organisations	- Member.	
			functioning under	wichilder.	
			the Central		
			Government;		
			(a) (i) holding		
			analogous posts on a		
			regular basis;		
			or		

	(ii) with five years
	of regular service in
	level-10 in the pay
	matrix (Rs.56100-
	177500) or
	equivalent, and
	equivalent, and
	(h) passassing the
	(b) possessing the
	following
	educational
	qualification,-
	(i) Master's degree
	from a recognised
	University in Hindi
	with English as a
	compulsory or
	elective subject or as
	the medium of
	examination at the
	degree level;
	or
	(ii) Master's degree
	from a recognised
	University in
	English with Hindi
	as a compulsory or
	elective subject or as
	the medium of
	examination at the
	degree level;
	or
	(iii) Master's degree
	from a recognised
	University in any
	subject other than
	Hindi or English,
	with Hindi medium
	and English as a
	compulsory or
	elective subject or as
	the medium of
	examination at the
	degree level;
	or
	(iv) Master's degree
	from a recognised
	University in any
	subject other than
	Hindi or English,
	with English
	medium and Hindi
	as a compulsory or
	elective subject or as
	the medium of
	examination at the
	degree level;
	or
	(v) Master's degree
	of a recognised
	University in any
	subject other than
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 43

T T	
	Hindi or English,
	with Hindi and
	English as
	compulsory or
	elective subjects or
	either of the two as a
	medium of
	examination and the
	other as a
	compulsory or
	elective subject at
	degree level; and
	(vi) Dinlomo on
	(vi) Diploma or
	certificate course
	from a recognised
	institute or
	University in
	translation from
	Hindi to English and
	vice versa.
	Note 1: The
	Departmental
	officers in the feeder
	category who are in
	the direct line of
	promotion
	shall not be eligible
	for
	consideration for
	appointment on
	deputation and
	similarly, the
	deputationists shall
	not be eligible for
	consideration for
	appointment
	by promotion.
	by promotion.
	NI-4- 2- TIL 1
	Note 2: The period
	of deputation
	including the period
	of deputation
	in another Ex-cadre
	post held
	immediately
	preceding this
	appointment in the
	same or some other
	organisation or
	Department
	of the Central
	Government shall
	ordinarily not exceed
	three years.
	Note 3: The
	maximum age-limit
	for appointment by
	deputation
	shall be not
	Simil 66 not

	exceeding fifty-six	
	years' as on the	
	closing date of	
	receipt of	
	applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Library and	1* (2021)	Group 'A',	Level -11 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Information	* Subject to	Non-	the pay matrix			
Officer.	variation	Ministerial.	(Rs.67700-			
	dependent		208700).			
	on					
	work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)	Not
applicable.	applicable.	failing which by		Departmental	applicable.
		deputation.	From among the	Promotion	
			Assistant Library	Committee (for	
			and Information	considering	
			Officer in level-7 in	promotion)	
			the pay matrix	consisting of:-	
			(Rs.44900-142400)		
			with seven years	1. Member-	
			regular service in the	Secretary,	
			grade.	Central Silk	
				Board -	
			<b>Note:</b> Where juniors	Chairman;	
			who have completed		
			their qualifying or	2. Director or	
			eligibility service are	Deputy	
			being	Secretary,	
			considered for	Ministry of	
			promotion, their	Textiles -	
			seniors shall also be	Member;	
			considered		
			provided they are not	3. A Director	
			short of the requisite	from Central	
			qualifying or	Silk Board –	
			eligibility	Member.	
			service by more than		
			half of such	(II) Composition	
			qualifying or	of the Selection	
			eligibility service or	Committee for	
			two years, whichever	deputation:-	
			is less, and have		
			successfully	1. Member-	
			completed their	Secretary,	
			probation period for	Central Silk	
			promotion to	Board -	
			the next higher grade	Chairman;	
			along with their		
			juniors who have	2. Director or	
			already	Deputy	
			completed such	Secretary,	
			qualifying or	Ministry of	
			eligibility service.	Textiles -	
				Member;	

Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central	3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.
Government;  (a) (i) holding analogous posts on a	
regular basis; or (ii) with five years	
of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent; or	
(iii) with seven years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or	
equivalent, and  (b) possessing the Bachelor's degree in Library Science or	
Library and Information Science from a recognised University or institute.	
Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of	
promotion shall not be eligible for consideration for appointment on	
deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for	
appointment by promotion.  Note 2: The period	
of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held	
immediately	

preceding this
appointment in the
same or some other
organisation or
Department
of the Central
Government shall
ordinarily not exceed
three years.
Note 3: The
maximum age-limit
for appointment by
deputation
shall be not
exceeding fifty-six
years' as on the
closing date of
receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Deputy	1* (2021)	Group 'A',	Level -11 in	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject to	Non-	the pay matrix			
(Statistics).	variation	Ministerial.	(Rs.67700-			
	dependent		208700).			
	on					
	work load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Not	By promotion	Promotion:	(I)	Not
applicable.	applicable.	failing which by		Departmental	applicable.
		deputation.	From among the	Promotion	
			Assistant Director	Committee (for	
			(Statistics) in level-	considering	
			10 in the pay matrix	promotion)	
			(Rs.56100-177500)	consisting of:-	
			with five years		
			regular service in the	1. Member-	
			grade.	Secretary,	
				Central Silk	
			<b>Note:</b> Where juniors	Board -	
			who have completed	Chairman;	
			their qualifying or		
			eligibility service are	2. Director or	
			being	Deputy	
			considered for	Secretary,	
			promotion, their	Ministry of	
			seniors shall also be	Textiles -	
			considered	Member;	
			provided they are not		
			short of the requisite	3. A Director	
			qualifying or	from Central	
			eligibility	Silk Board –	
			service by more than	Member.	
			half of such		
			qualifying or	(II)	
			eligibility service or	Composition of	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 47

the Selection two years, whichever is less, and have Committee for successfully deputation:completed their probation period for 1. Memberpromotion to Secretary, the next higher grade Central Silk along with their Board juniors who have Chairman; already completed such 2. Director or qualifying or Deputy eligibility service. Secretary, Ministry of Deputation: Textiles -Officers of the Member; Central Government 3. A Senior or statutory or autonomous Officer of organisations Central Silk functioning under Board from the Central Administration Government; - Member. (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and (b) possessing the Bachelor's degree in Statistics from a recognised University. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period

of domination	
of deputation	
in another Ex-cadre	
post held	
immediately	
preceding this	
appointment in the	
same or some other	
organisation or	
Department	
of the Central	
Government shall	
ordinarily not exceed	
three years.	
Note 3: The	
maximum age-limit	
for appointment by	
deputation	
shall be not	
exceeding fifty-six	
years' as on the	
closing date of	
receipt of	
applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.Assistant	37* (2021)	Group 'A',	Level -10 in the	Selection.	Not exceeding	Essential
Director	* Subject	Ministerial.	pay matrix		thirty-five years.	qualification:
(Administration	to		(Rs.56100-		(Relaxable for	(i) qualified
and Accounts).	variation		177500).		Government	Chartered
	dependent				servants upto	Accountant from
	on work				five years in	the Institute of
	load.				accordance with	Chartered
					the instructions	Accountants of
					or orders issued	India;
					by the Central	or
					Government).	(ii) qualified Cost
					Note:	Accountant from
					The crucial	the Institute of
					date for	Cost Accountants
					determining the	of India;
					age-limit shall	or
					be the closing	(iii) qualified
					date for receipt	Company
					of applications	Secretary from
					from	the Institute of
						Company
						Secretaries of
						India;
						or
					candidates and	(iv) Master of
					not the closing	Business
					date prescribed	Administration;
					for those in	or
					Assam,	(v) Master's
					Meghalaya,	degree in
					Arunachal	Commerce from a
					Pradesh,	recognised
					Mizoram,	University
					Manipur,	orinstitute.
					Nagaland,	

	Tripura,	Desirable:
	Sikkim,	Bachelor's degree
	Lahaul and	
	Spiti District	
	and Pangi Sub-	University or
	Division of	institute.
	Chamba	
	District of	Note 1:
	Himachal	Qualifications are
1	Pradesh and the	relaxable at the
	Union	discretion of the
	territories of	
	Ladakh, the	Government in
	Andaman and	the case of
	Nicobar Islands	candidates
	and	otherwise well
	Lakshadweep.	qualified.
	Lakshaa weep.	Note 2: The
		qualification
		regarding
		experience is
		relaxable at the
		discretion of the
		Central
		Government in
		the case of
		candidates
		belonging to the
		Scheduled
		Castes and the
		Scheduled
		Tribes if at any
		stage of
		selection the
		Central
		Government is
		of the opinion
		that sufficient
		number of
		candidates from
		these
		communities
		possessing the
		requisite
		experience are
		not likely to be
		available to fill
		up the vacancies
		reserved for
		them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	One year.	(i) eighty per cent.	Promotion:	(I) Departmental	Not
applicable.		by promotion;	From among the	Promotion	applicable.
	Note: There shall	and (ii) twenty	Superintendent	Committee (for	
	be a mandatory	per cent. by	(Administration) in	considering	
	induction training	direct recruitment	level-7 in the pay	promotion)	
	of at least two	failing which by	matrix (Rs.44900-	consisting of:-	
	weeks duration	deputation.	142400) with three		
	for successful		yearsregular service	<ol> <li>A Director</li> </ol>	
	completion of		in the grade.	from	

probation as prescribed by the Central Government.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:
Officers of the
Central Government
or statutory
orautonomous
organisations
functioning under
the Central
Government,

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, and (b) possessing the following educational qualification, (i) qualified Chartered Accountant from the institute of Chartered

Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director or **Deputy Director** from outside Central Silk Board - Member: 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from the Central Silk Board – Member.

- (II) Selection Committee for deputation:-
- Member-Secretary, Central Silk Board Chairman;
   Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles Member;
   A Senior Officer of Central Silk Board from Administration Member.
- (III) Selection Committee (for direct recruitment)
- 1. A Director from Central Silk Board - Chairman; 2. Deputy Secretary or Under Secretary Ministry of Textiles Member; 3. A Senior Officer serving in a Central Government Accounting organisation not below level-13 in the pay matrix(Rs.123100-215900)
  - Member.

(IV) Department

Confirmation Accountants of India; Committee (for considering (ii) qualified Cost confirmation) Accountant from the consisting of:institute of Cost 1. A Director Accountants of India; from Central Silk Board or (iii) qualified Chairperson; Company Secretary 2. Joint Director (Administration) from the institute of or Joint Director Company Secretaries of India (Finance), Central Silk Board (iv) Master of Member: 3. A Deputy Business Administration Director or **Deputy Secretary** or (v) Master's degree in (Technical) or Commerce from a equivalent level Officer from recognised University orinstitute. Central Silk Board Note 1: The - Member. Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fiftysix years' as on the

	closing date of receipt of applications		
--	---	--	--

10.Assistant Director (Publicity).  2* (2021)     * Subject     to     variation     dependent     on work  ** Subject to     variation     dependent     on work  ** Subject to     variation     dependent     on work  ** Subject to     variation dependent     on work  ** Subject to     variation dependent     on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work  ** Subject to     variation dependent on work	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
load.	10.Assistant Director	2* (2021) * Subject to variation dependent on work	Group 'A', Non-	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-	Selection.	\ /	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years.	By promotion	Promotion:	(I)Departmental	
applicable.		failing which by	From among the	Promotion	
		deputation.	Superintendent	Committee (for	
			(Publicity) in level-7	considering	
			in the pay matrix	promotion)	
			(Rs.44900-142400)	consisting of:-	
			with three years	C	
			regular service in the	1. A Director	
			grade.	from	
				Central Silk	
			Note: Where juniors	Board -	
			who have completed	Chairman;	
			their qualifying or	,	
			eligibility service are	2. A Joint	
			being	Director or	
			considered for	Deputy Director	
			promotion, their	from outside	
			seniors shall also be	Central Silk Board	
			considered	– Member;	
			provided they are	1,10111001,	
			not short of the	3. A Joint	
			requisite qualifying	Director	
			or eligibility	(Administration)	
			service by more than	or Deputy	
			half of such	Director	
			qualifying or	(Administration	
			eligibility service or	and Accounts)	
			two years,	from the Central	
			whichever is less,	Silk Board –	
			and have	Member.	
			successfully	11201110011	
			completed their	(II)Composition	
			probation period for	of the Selection	
			promotion to the	Committee for	
			next higher grade	deputation:-	
			along with their	1. Member-	
			juniors who have	Secretary,	
			already completed	Central Silk	
			such qualifying or	Board -	
			eligibility service.	Chairman;	
			ongromity sorvice.	2. Director or	
			Deputation:	Deputy	
			Officers of the	Secretary,	
			Central Government	Ministry of	
			Central Government	IVIIIISU Y OI	

Textiles or statutory or autonomous Member; organisations 3. A Senior functioning under Officer of the Central Central Silk Government; Board from Administration -(a) (i) holding Member. analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix ( Rs. 44900-142400) or equivalent, and (b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's degree from a recognised University with Diploma in Journalism from a recognised institute or University. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the

Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-	
six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.Assistant	6* (2021)	Group 'A',	Level -10 in the	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject to	Non-	pay matrix			
(Official	variation	Ministerial.	(Rs.56100-			
Language).	dependent		177500).			
	on work					
	load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years.	By promotion	Promotion:	(I) Departmental	
applicable.		failing which by	From among the	Promotion	
		deputation.	Senior Translator	Committee (for	
			(Hindi) in level-7 in	considering	
			the pay matrix	promotion)	
			(Rs.44900-142400)	consisting of:-	
			with three years		
			regular service in the	1. A Director	
			grade.	from	
				Central Silk	
			Note: Where juniors	Board -	
			who have completed	Chairman;	
			their qualifying or		
			eligibility service are	2. A Joint	
			being	Director or	
			considered for	Deputy Director	
			promotion, their	from outside	
			seniors shall also be	Central Silk Board	
			considered	– Member;	
			provided they are	0.47.	
			not short of the	3. A Joint	
			requisite qualifying	Director	
			or eligibility	(Administration)	
			service by more than	or Deputy	
			half of such	Director	
			qualifying or	(Administration and Accounts)	
			eligibility service or two years,	from the Central	
			whichever is less,	Silk Board –	
			and have	Member.	
			successfully	Wiemoer.	
			completed their		
			probation period for	(II) Composition	
			promotion to the	of the Selection	
			next higher grade	Committee for	
			along with their	deputation:-	
			juniors who have	deputation.	
		l	jumois who have		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 55

 1 1 1 1	1 37 1	
already completed	1. Member-	
such qualifying or	Secretary,	
eligibility service.	Central Silk	
Deputation:	Board -	
Officers of the	Chairman;	
Central Government		
or statutory or	2. Director or	
autonomous	Deputy	
organisations	Secretary,	
functioning under	Ministry of	
the Central	Textiles -	
Government;	Member;	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(a) (i) holding	3. A Senior	
analogous posts on a	Officer of	
regular basis;	Central Silk	
or	Board from	
(ii) with three years	Administration	
of regular service in	- Member.	
level-7 in the pay	- 1/10111001.	
matrix (Rs. 44900-		
142400) or		
equivalent, and		
(1-)		
(b) possessing the		
following		
educational		
qualification,-		
(i) Master's degree		
from a recognised		
University in Hindi		
with English as a		
compulsory or		
elective subject or as		
the medium of		
examination at the		
degree level;		
or		
(ii) Master's degree		
from a recognised		
University in		
English with Hindi		
as a compulsory or		
elective subject or as		
the medium of		
examination at the		
degree level;		
or		
(iii) Master's degree		
from a recognised		
University in any		
subject other than		
Hindi or English,		
with Hindi medium		
and English as a		
compulsory or		
elective subject or as		
the medium of		
examination at the		
degree level;		
or		

(iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(v) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and

(vi) Diploma or certificate course from a recognised institute or University in translation from Hindi to English and vice versa

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held

immediately preceding this appointment in the same or some other
organisation or
Department of the
Central Government
shall ordinarily not
exceed three years.
Note 3: The
maximum age-limit
for appointment by
deputation shall be
not exceeding fifty-
six years' as on the
closing date of
receipt of
applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.Assistant	4* (2021)	Group 'A',	Level -10 in the	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Director	* Subject	Non-	pay matrix			
(Statistics).	to	Ministerial.	(Rs.56100-			
	variation		177500).			
	dependent					
	on work					
	load.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years.	By promotion	Promotion:	(I) Departmental	
applicable.		failing which by	From among the	Promotion	
		deputation.	Senior Statistician	Committee (for	
			in level-7 in the pay	considering	
			matrix (Rs.44900-	promotion)	
			142400) with three	consisting of:-	
			yearsregular service		
			in the grade.	<ol> <li>A Director</li> </ol>	
				from	
			Note: Where juniors	Central Silk	
			who have completed	Board -	
			their qualifying or	Chairman;	
			eligibility service are		
			being	2. A Joint	
			considered for	Director or	
			promotion, their	Deputy Director	
			seniors shall also be	from outside	
			considered	Central Silk Board	
			provided they are	<ul><li>Member;</li></ul>	
			not short of the		
			requisite qualifying	3. A Joint	
			or eligibility	Director	
			service by more than	(Administration)	
			half of such	or Deputy	
			qualifying or	Director	
			eligibility service or	(Administration	
			two years,	and Accounts)	
			whichever is less,	from the Central	
			and have	Silk Board –	
			successfully	Member.	

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis;
- (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent, and
- (b) possessing the Bachelor's degree in Statistics from a recognised University.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the

- (I) Composition of the Selection Committee for deputation:-
- 1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman:
- 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member;
- 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.

[भाग II—खण्ड 3(i)]			भारत क	भारत का राजपत्र : असाधारण		
				_	Γ	T
				same or some other		
				organisation or		

same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	

[F. No. 25012/01/2021-Silk] J. K. DORA, Under Secy.